



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-25092025-266421
CG-WB-E-25092025-266421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4241]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947

No. 4241]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4360(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त-शक्तियों का प्रयोग करत हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, झारखंड राज्य के जिला देवघर में विशेष रेल परियोजना “मधुपुर बायपास लाइन” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर, देवघर- जिला, राज्य -झारखंड, पिन-814112 में लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची									
झारखंड राज्य में देवघर जिले में विशेष रेलवे परियोजना नामतः "मधुपुर बायपास लाइन" के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।									
क्र.	मौजा का नाम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	सर्वे रकवा (एकड़ में)	प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	पटवाबाद	221	21	66	धानी-2	निजी	0.24	0.089	0.0360
2	पटवाबाद	221	21	67	बाड़ी-2	निजी	1.57	0.452	0.1829
3	पटवाबाद	221	15	68	धानी-3	निजी	0.29	0.003	0.0012
4	पटवाबाद	221	15	69	बाड़ी-2	निजी	0.96	0.324	0.1311
5	पटवाबाद	221	45	76	रास्ता	डिस्ट्रीक रोड कमिटी (झारखण्ड सरकार)	0.16	0.082	0.0332

क्र.	मौजा का नाम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	सर्वे रकवा (एकड़ में)	प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नारायणपुर	228	43	1030	बाड़ी-2	निजी	1.20	0.797	0.3225

क्र.	मौजा का नाम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	सर्वे रकवा (एकड़ में)	प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	पहाड़पुर	222	32	511	धानी-3	निजी	0.93	0.357	0.1445

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./309]

पी.के. शर्मा, मुख्यप्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Eastern Railway (Construction department)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 22nd September, 2025

S.O. 4360(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section(1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government, after being

satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, " **Madhupur Bye-pass line**" in the District of Deoghar, in the State of Jharkhand, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer, Deoghar, at his office at Deoghar, Jharkhand, Pin- 814112 in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

LAND SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure for Special Railway Project namely "**Madhupur Bye-pass line**" in the District of Deoghar, in the State of Jharkhand.

Sl. No.	Name of Mouza	Thana No.	J.B No.	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Survey Area (in acre)	Affected Area (in acre)	Affected Area (in hectare)
1	Patwabad	221	21	66	Dhani-2	Private	0.24	0.089	0.0360
2	Patwabad	221	21	67	Badi-2	Private	1.57	0.452	0.1829
3	Patwabad	221	15	68	Dhani-3	Private	0.29	0.003	0.0012
4	Patwabad	221	15	69	Badi-2	Private	0.96	0.324	0.1311
5	Patwabad	221	45	76	Road	District Road Committee (govt. of Jharkhand)	0.16	0.082	0.0332

Sl. No.	Name of Mouza	Thana No.	J.B No.	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Survey Area (in acre)	Affected Area (in acre)	Affected Area (in hectare)
1	Narayanpur	228	43	1030	Baadi-2	Private	1.20	0.797	0.3225

Sl. No.	Name of Mouza	Thana No.	J.B No.	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Survey Area (in acre)	Affected Area (in acre)	Affected Area (in hectare)
1	Pahadpur	222	32	511	Dhani-3	Private	0.93	0.357	0.1445

[F. No. CAO/Con/L/309]

P.K. SHARMA, Chief Administrative Officer/Con.